



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2013/माघ 30, 1934

No. 32]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013/MAGHA 30, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

सं. आरटी-25014/4/2012-आरएस.—मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित 16 मई, 1991 के संकल्प संख्या आरटी-23018/3/88-टी का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष परिषद का सहर्ष पुनर्गठन करते हैं जो इस प्रकार है:—

क्र.सं.	विवरण	संख्या	संक्षिप्त टिप्पणी
1	2	3	4
क.	सरकारी सदस्य		
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री	1	अध्यक्ष
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (एसएस)	1	उपाध्यक्ष
3.	सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (टी)	1	उपाध्यक्ष
4.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सड़क परिवहन मंत्री	35	सदस्य
5.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशक/महानिरीक्षक	35	सदस्य
6.	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि	8	सदस्य
	i) गृह मंत्रालय		
	ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
	iii) रेल मंत्रालय		
	iv) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
	v) भारी उद्योग विभाग		
	vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय		
	vii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
	viii) योजना आयोग		

(1)

7.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
8.	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1	सदस्य
9.	महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य सचिव
ख.	<u>गैर सरकारी सहयोजित सदस्य</u>		
11.	सड़क सुरक्षा पुरस्कार विजेता	2	सदस्य
	क) गैर सरकारी संगठन श्रेणी		
	i) एकजुट, जयपुर, राजस्थान (विजेता)		
	ख) व्यक्तिगत श्रेणी		
	i) सुश्री उष्मिता ए.शाह, गुजरात (विजेता)		
12.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति	7	सदस्य
	i) श्री प्रदीप एस. मेहता, डी-217, भास्कर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर-30201		
	ii) श्री बाबू चौधरी, 14, परिश्रम, नानीजी का बाग, नजदीक वंदना टॉकीज, नाथद्वार, जिला राजसमंद, राजस्थान		
	iii) श्री पूरन चंद टमटा, 30बी, डीडीए फ्लैट्स, गुलाबी बाग, दिल्ली-110007		
	iv) श्री सत्यनारायण आत्माराम अग्रवाल, 'अग्रवाल्स' पीओ बॉक्स -49, गोकुल पार्क, 356/12-बी, टैगोर रोड, गांधी धाम - 370201 गुजरात		
	v) डॉ. नरेश कुमार, प्रधान पैलेस, गांव व डाकखाना - हिरनकुंड, दिल्ली-110041		
	vi) श्री अशोक मक्कड, 2526, बस्ती जोधवाल, लुधियाना		
	vii) श्री एन. जय प्रकाश, मकान नं. 2/150, ए, मेल्टूर (डाकखाना), वीरागालुर (वाया) लालगुडी (टीके), त्रिची (जिला), तमिलनाडु - 621722		
13.	सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा और बीमा से संबंधित सरकारी संस्थाएं	8	सदस्य
	i) निदेशक, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली		
	ii) निदेशक, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे		
	iii) अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम, मुंबई		
	iv) निदेशक, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे		
	v) मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा, लखनऊ		
	vi) अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हैदराबाद		
	vii) निदेशक, व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अहमदनगर		
	viii) निदेशक, आईआईपी देहरादून, उत्तराखंड		
14.	सड़क सुरक्षा से संबंधित एसोसिएशन	6	सदस्य
	i) अध्यक्ष/ सचिव, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली		
	ii) अध्यक्ष/सचिव, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली		
	iii) कार्यकारी निदेशक, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम एसोसिएशन, नई दिल्ली		

- iv) अध्यक्ष, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
- v) अध्यक्ष, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस, नई दिल्ली
- vi) अध्यक्ष, आल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ऑनर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

2. समिति के विचारणीय विषय और कार्य इस प्रकार होंगे :-

- i) सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा के मानकों, नीतियों के नियोजन और समन्वय से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना;
- ii) राज्य सड़क सुरक्षा संगठनों और सड़क परिवहन की प्रभारी अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा लागू किए जाने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना और उनकी अनुशंसा करना;
- iii) सड़क दुर्घटना सांख्यिकी रखने और उसके विश्लेषण के साथ-साथ सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा पहलुओं के सुधार के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों का सुझाव देना;
- iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किए गए सड़क सुरक्षा उपायों पर केंद्रीय स्तर पर सामान्यतः निगरानी रखना ।

3. यह परिषद अपने संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विधि निर्धारित करेगी ।

4. परिषद की एक वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक होगी । क्रम संख्या 11 एवं 12 पर गैर सरकारी सहयोजित सदस्यों को इंडियन एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास से की गई विमान यात्रा अथवा वास्तविक यात्रा जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा ।

5. उपर्युक्त सहयोजित संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा ।

6. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा और इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संगठनों अर्थात् मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों के परिवहन/पुलिस विभाग और अन्य एजेंसियों के सदस्य होंगे । निदेशक (सड़क सुरक्षा) समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे । कार्यकारी समिति को उप-समिति बनाने यदि आवश्यकता हो और अतिरिक्त सदस्य सह-योजित करने जहां आवश्यक हो, के लिए भी प्राधिकृत किया जाएगा । समिति के अध्यक्ष किसी अन्य विषय-विशेषज्ञ को समिति के सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकेंगे ।

[फा. सं. आर टी-25014/4/2012-आरएस]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Road Safety)

RESOLUTION

New Delhi, the 13th February, 2013

No. RT-25014/4/2012-RS.—In exercise of the powers conferred under Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 and in supersession of Resolution No. RT-23018/3/88-T, dated 16th May, 1991 as modified from time to time, the Chairman, National Road Safety Council is pleased to re-constitute the Council as under :—

S.No.	Particulars	No.	Brief Remarks
1.	2	3	4
A.	<u>Official Members:</u>		
1)	Minister for the Ministry of Road Transport & Highways	-1-	Chairman
2)	Minister of State (SS) for the Ministry of Road Transport & Highways	-1-	Vice-Chairman
3)	Minister of State (T) for the Ministry of Road Transport & Highways	-1-	Vice-Chairman
4)	Ministers in-charge of Road Transport. of all States/UTs	-35-	Members
5)	DGs/IGs of all States/UTs.	-35-	Members
6)	Representatives from Central Ministries/ Departments	-8-	Members
	i) M/o Home Affairs,		
	ii) M/o Human Resource Development,		
	iii) M/o Railways,		
	iv) M/o Petroleum & Natural Gas,		
	v) Department of Heavy Industry,		
	vi) M/o Environment and Forests		
	vii) M/o Health & Family Welfare		
	viii) Planning Commission		
7)	Secretary, M/o Road Transport & Highways	-1-	Member
8)	Chairman, National Highways Authority of India	-1-	Member
9)	Director General (Road Development) & Spl. Secretary, M/o Road Transport & Highways	-1-	Member
10)	Joint Secretary (Transport), M/o Road Transport & Highways	-1-	Member Secretary

B NON-OFFICIAL Co-opted Members

- 11) Road Safety Award Winners -2- Members
- (a) **NGO Category**
- i) Ekjut, Jaipur, Rajasthan (Winner)
- (b) **Individual Category**
- i) Ms Ushmita A. Shah, Gujarat (Winner)
- 12) Individuals nominated by Minister for Road Transport & Highways -7- Members
- i) Shri Pradeep S. Mehta, D-217, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur – 302 016
- ii) Shri Babu Chaudhary, 14, Parishram, Naniji Ka Bagh, Near Vandana Talkies, Nathdwara, District Rajsamand, Rajasthan.
- iii) Shri Puran Chand Tamta, 30B, DDA Flats, Gulabi Bagh, Delhi – 110 007.
- iv) Shri Satyanarayan Atmaram Agrawal, "AGRAWAL'S" P.O. Box 49, Gokul Park, 356/12-B, Tagore Road, Gandhidham -370 201. Gujarat
- v) Dr. Naresh Kumar, Pradhan Palace, Village & P. O. Hirankunda, Delhi – 110 041
- vi) Shri Ashok Makkar, 2526, Basti Jodhewal, Ludhiana
- vii) Shri N. Jaya Prakash, House No. 2/150, A, Mettur (PO), Viragalur (Via) Lalgudi (TK), Tirchi (Dt), Tamil Nadu – 621 722.
- 13) Government Institutions related to Road Construction, Road Safety and Insurance -8- Members
- i) Director, Central Road Research Institute, New Delhi
- ii) Director, Central Institute of Road Transport, Pune
- iii) Chairman, Life Insurance Corporation, Mumbai
- iv) Director, Automotive Research Association of India, Pune
- v) Chief Commissioner, Railway Safety, New Delhi
- vi) Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad
- vii) Director, Vehicle Research Development Establishment, Ahemednagar
- viii) Director, I.I.P. Dehradun, Uttarakhand

677 9113-2

- 14) Association related with Road safety -6- Members
- i) President/Secretary, Society of India Automobile Manufacturers, New Delhi.
 - ii) President/Secretary, Automobile Association of India, New Delhi
 - iii) Executive Director, Association of State Road Transport Undertakings, New Delhi
 - iv) President, Automotive Component Manufacturers Association, New Delhi
 - v) President, All India Motor Transport Congress, New Delhi
 - vi) President, All India Confederation of Goods Vehicle Owners Association, New Delhi

2. Terms of References and functions of the Committee shall be:

- i) To advise on all matters pertaining to planning and coordination of policies, standards of safety in the road transport sector,
- ii) To formulate and recommend road safety programmes for implementation by State Road Safety Organizations as also other State agencies in-charge of road transportation;
- iii) To suggest areas for research and development to improve safety aspects in the road transport sector including maintenance of statistics of road accidents and their analysis;
- iv) To generally oversee and monitor at Central level, the road safety measures undertaken by States/UT agencies.

3. The Council shall decide the procedure and methodology to be adopted for its functioning.

4. The Council will hold its meeting at least once a year. TA/DA shall be paid to the Non-Official Co-opted Members at Serial No. (11) & (12) for the journey undertaken by air by economy class in Indian Airlines or actual whichever is less.

5. The tenure of the above co-opted institutional/ individual members will be for a period of two years from the date of issue of this Resolution.

6. An Executive Committee will also be constituted under the chairmanship of Secretary (RT&H) and members from different organizations dealing with Road Safety issues viz Ministries/ Departments, Transport/Police Department of all States and other agencies to ensure effective implementation of the recommendations of NRSC. Director (RS) will act as a member secretary of the Committee. The Executive Committee may also be authorized to form sub-committee, if required and co-opt additional members, wherever necessary. The chairman of the committee may co-opt any other subject expert as a member of the committee.

[F. No. RT-25014/4/2012-RS]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2013/वैशाख 2, 1935

No. 83]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2013/VAISAKHA 2, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

सं. आरटी-25014/4/2012-आरएस.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, संख्या 32 दिनांक 19 फरवरी, 2013 के संकल्प में :

(1) मद ख. गैर-सरकारी सहयोजित सदस्यों के लिए निम्नलिखित किया जाए :—

अंग्रेजी रूपांतर में पृष्ठ सं. 5, लाइन सं. 15 और 16 (iii) "श्री पूरन चंद टमटा, 30 बी, डीडीए फ्लैट्स, गुलाबी बाग, दिल्ली-110007 का नाम हटाया जाए" और हिन्दी रूपांतर में पृष्ठ सं. 2 लाइन सं. 17 और 18 हटाई जाए।

(2) अंग्रेजी रूपांतर में पृष्ठ सं. 5 लाइन सं. 27, क्रम सं. 12 (vii) के नीचे और हिन्दी रूपांतर में पृष्ठ सं. 2, लाइन सं. 26 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि होगी :

"(viii) प्रो. दिनेश सिंह, उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, दिल्ली-110007,

(ix) श्री प्रिंस सिंघल, फाउंडर, कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रिंकन ड्राइविंग (सीएडीडी), 123/124, तृतीय तल, सत्य निकेतन, वेंकटेश्वर कालेज के सामने, नई दिल्ली-110021."

[सं. आर टी-25014/4/2012-आर एस]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Road Safety)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th April, 2013

No. RT-25014/4/2012-RS.—In the resolution of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. 32 dated the 19th February, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-1 :

(1) Item B. Non-Official Co-opted Members the following may be done :—

In page No. 5, Line No. 15 & 16 the name of (iii) "Shri Puran Chand Tamta, 30B, DDA Flats, Gulabi Bagh, Delhi-110007" may be deleted" in English version and page No. 2 line no. 17 & 18 may be deleted in Hindi version.

(2) In page No. 5, after line 27, below S.N. 12 (vii), a fresh entry in English version and in page 2 after line no. 26 in Hindi Version, as under shall be

"(viii) Prof. Dinesh Singh, Vice-Chancellor, University of Delhi Main Campus, Delhi-110007."

(ix) Shri Prince Singhal, Founder, Community Against Drunken Driving (CADD), 123/124, Third Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateshwara College, New Delhi-110021.

[No. RT-25014/4/2012-RS]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2014/पौष 12, 1935

No. 01]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2014/PAUSHA 12, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2014

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Road Safety)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd January, 2014

No. RT-25014/4/2012-RS.—In the resolution of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. 32 dated the 19th February, 2013, and Corrigendum dated 22.04.2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I Section-1.

सं.आरटी-25014/4/2012-आरएस.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, के संकल्प संख्या 32 दिनांक 19 फरवरी, 2013 में और शुद्धिपत्र दिनांक 22.04.2013 में :

- (1) मद ख. गैर-सरकारी सहयोजित सदस्यों के लिए निम्नलिखित किया जाए:
अंग्रेजी रूपांतर में पृष्ठ सं. 5, लाइन सं. 22 और 23 (v) "डॉ. नरेश कुमार, प्रधान पैलेस, गांव व डाकखाना-हिरनकुंडा, दिल्ली-110041" का नाम हटाया जाए और हिन्दी रूपांतर में पृष्ठ सं. 2, लाइन सं. 22 और 23 हटाई जाए।
- (2) मद ख. गैर-सरकारी सहयोजित सदस्यों के लिए निम्नलिखित किया जाए:
अंग्रेजी रूपांतर में पृष्ठ सं. 5, क्रम सं. 12 (ix) के नीचे और हिन्दी रूपांतर में पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 12 के नीचे निम्नलिखित नई प्रविष्टि होगी:
“(x). श्री रमेशभाई चतुरभाई प्रजापति, अध्यक्ष, बदोदरा शहर और जिला कांग्रेस समिति, सत्य नारायण बंगला, शुभनपुरा, बदोदरा-23
(xi) श्री भरत बंशराज राजपूत, अध्यक्ष, धानू तालुका कांग्रेस (आई) समिति, 10, रामजी अपार्टमेंट्स, रामवाड़ी, धानू (ई), धानू, महाराष्ट्र”

[सं. आर टी-25014/4/2012-आर-एस]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

- (1) Item B. Non-Official Co-opted Members the following may be done :—

In page No. 5, Line No. 22 & 23 the name of (v) “Dr. Naresh Kumar, Pradhan Palace, Village & P. O. Hirankunda, Delhi – 110 041” may be deleted in English version and page No. 2 line no. 22 & 23 may be deleted in Hindi version.

- (2) Item B. Non-Official Co-opted Members the following may be done :—

In page No. 5, below S.No. 12 (ix), a fresh entry in English version and in page 2, below S. No. 12 in Hindi Version, as under shall be

“(x) Shri Rameshbhai Chaturbhai Prajapati, President, Vadodara City & District Congress Samiti, Satyanarayan Bungalows, Subhanpura, Vadodara-23.

(xi) Shri Bharat Bansraj Rajput, President, Dahanu Taluka Congress (I) Committee, 10 Ramji Apartments, Ramwadi, Dahanu (E), Dahanu, Maharashtra.”

[No. RT-25014/4/2012-RS]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2014/माघ 18, 1935

No. 31]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2014/MAGHA 18, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2014

सं. आरटी-25014/4/2012-आरएस.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, के संकल्प संख्या 32, दिनांक 19 फरवरी, 2013 में और शुद्धि पत्र, दिनांक 22-04-2013 और 02-01-2014 में :

(1) मद ख. गैर-सरकारी सहयोजित सदस्यों के लिए निम्नलिखित किया जाए :—

अंग्रेजी रूपांतर में पृष्ठ सं. 5, लाइन सं. 22 और 23 और हिन्दी रूपांतर में पृष्ठ सं. 2 लाइन सं. 22 और 23 में v) "श्री वीरेंद्र वशिष्ठ, वकील, आर-593, गली नं.-5 ए, स्वतंत्र नगर, दिल्ली-110040" का नाम जोड़ा जाए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

(ROAD SAFETY)

ADDENDUM

New Delhi, the 6th February, 2014

No. RT-25014/4/2012-RS.—In the resolution of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. 32, dated the 19th February, 2013, and Corrigendum dated 22-04-2013 & 2-01-2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 :

(1) Item B. Non-Official Co-opted Members the following may be done :—

In page No. 5, Line No. 22 & 23 the name of v) "Shri Virender Vashist, Lawyer, R-593, Gali No. 5A, Swatantar Nagar, Delhi-110040" may be added in English version and page No. 2 line no. 22 & 23 in Hindi version.

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935

No. 79]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

परिशिष्ट

सं. आरटी-25014/4/2012-आरएस.—भारत के राजपत्र,

असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, के संकल्प संख्या 32, दिनांक 19 फरवरी, 2013 में और शुद्धि पत्र दिनांक 22-4-2013 और 2-1-2014 में तथा परिशिष्ट में:

- (1) मद ख. पैरा 12 के अंतर्गत गैर-सरकारी सहयोजित सदस्यों के लिए निम्नलिखित किया जाए :—
अंग्रेजी रूपांतर में पृष्ठ सं. 5, लाइन सं. 16 और 17 और हिन्दी रूपांतर में पृष्ठ सं. 2, लाइन सं. 18 और 19 में iii) "श्री दिलीप पात्रो, शशिराज पैलेस # 49-27-10, मधुर नगर, सीतम्मापेटा जंक्शन, विशाखापट्टनम-530016, आंध्र प्रदेश" का नाम जोड़ा जाए ।
- (2) मद ख. पैरा 14 के अंतर्गत गैर-सरकारी सहयोजित सदस्यों के लिए निम्नलिखित किया जाए :—
अंग्रेजी रूपांतर में पृष्ठ सं. 6, vi) के पश्चात् लाइन सं. 12 और हिन्दी रूपांतर में पृष्ठ सं. 3, vi) के पश्चात् लाइन सं. 7 में एसोसिएशन vii) "अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, टेक्नीकल एक्जीक्यूटिव आफिसर्स एसोसिएशन # 406, मैत्री अपार्टमेंट्स, जजेज कालोनी, आरटी नगर, बंगलौर-560032, कर्नाटक" का नाम जोड़ा जाए ।

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

(Road Safety)

New Delhi, the 21st March, 2014

ADDENDUM

No. RT-25014/4/2012-RS.—In the resolution of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. 32 dated the 19th February, 2013, and Corrigendum dated 22-4-2013 & 2-1-2014 and Addendum dated published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-1.

- (1) Item B. Non-Official Co-opted Members under para 12) the following may be done :—
In page No. 5, Line No. 16 & 17 the name of iii) "Shri Dilip Patro, SashiRaj Palace, # 49-27-10, Madhura Nagar, Seethammapeta Junction, Visakhapatnam - 530016, Andhra Pradesh" may be added in English version and page No. 2 line no. 18 & 19 in Hindi version.
- (2) Item B- Non-Official Co-opted Members, under para 14) the following may be done :—
In page No. 6, after vi) at Line No. 12 the name of Association "vii) President, All India Federation of Motor Vehicles Department Technical Executive Officer's Associations, # 406, Mythri Apts., Judges Colony, R. T. Nagar, Bangalore - 560032, Kamataka may be added in English version and page No. 3 after vi) at line no. 7 in Hindi version.

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.